



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072021-228091
CG-DL-E-03072021-228091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2484]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943

No. 2484]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

का.आ. 2682(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH-167 (पूर्ववर्ती SH-18) पर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण (दो/चार-लेन आरओबी आदि को चौड़ा करना) रखरखाव, प्रबंधन और संचालन उन्नयन हेतु तेलंगाना राज्य में महबूबनगर जिले में NH-167 जड़चेर्ला-कलवाकुरति खंड के 17+000 किलोमीटर से 18+000 किलोमीटर के जड़चेर्ला टाउन में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-167 के जड़चेर्ला-कलवाकुरति खंड के किमी 17+000 से किमी 18+000 तक के जड़चेर्ला टाउन में "4 लेन आरओबी के निर्माण/पुनर्निर्माण" के कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम					
1	2	3	4	5	6	7					
1	एडिशनल कलेक्टर (रेवेन्यु) महबूबनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH167 के कि.मी. 17 से 18 तक	तेलंगाना	महबूबनगर	<table><tr><td rowspan="2">जड़चेर्ला</td><td>1</td><td>जड़चेर्ला</td></tr><tr><td>2</td><td>बाडेपल्ली</td></tr></table>		जड़चेर्ला	1	जड़चेर्ला	2	बाडेपल्ली
जड़चेर्ला	1	जड़चेर्ला									
	2	बाडेपल्ली									

[फा. सं. Rev/G3/0001/2021-G-Section]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2021

S.O. 2682(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening two/four-laning ROB, etc.) maintenance, Management and operation of the National Highway on NH-167(erstwhile SH-18) in Jadcherla Town from Km. 17+000 to Km. 18+000 of Jadcherla-Kalwakurthy section of NH-167 in Mahabubnagar District in the State of Telangana.

SCHEDULE

Land acquisition for the work of "Construction/Reconstruction of 4 lane ROB in Jadcherla Town from Km. 17+000 to Km. 18+000 of Jadcherla-Kalwakurthy section of NH-167 in the State of Telangana.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Additional Collector(Revenue) Mahabubnagar	17KM To 18KM	TELANGANA	MAHABUBNAGAR	Jadcherla	<table><tr><td>1</td><td>Jadcherla</td></tr><tr><td>2</td><td>Badepalle</td></tr></table>	1	Jadcherla	2	Badepalle
1	Jadcherla									
2	Badepalle									

[F. No. Rev/G3/0001/2021-G-Section]

RAJESH GUPTA, Director